राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(10)वित्त(नियम)/2021 पार्ट जयपुर, दिनांक : 14 DEC 2021

आदेश

विषयः **Rajasthan Government Health Scheme (RGHS)** के अन्तर्गत आउट डोर एवं इन्डोर चिकित्सा के संबंध में।

संदर्भः वित्त (नियम) विभाग का आदेश क्रमांक प.6(10)वित्त/नियम/2021 पार्ट दिनांक 16–11–2021 एवं 18–11–2021

वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांक 16–11–2021 एवं 18–11–2021 की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :

1. आदेश दिनांक 16–11–2021 एवं आदेश दिनांक 18–11–2021 में वृद्ध पुरूष एवं महिला पेंशनर आदि को **RGHS** कार्ड जारी कराने एवं चिकित्सा की वित्तीय सीमा बढ़ाने में आ रही कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए इन आदेशों में दी गई शिथिलन की अवधि को दिनांक 15–1–2022 तक बढ़ाया जाता है।
2. आदेश दिनांक 16–1–2021 के बिन्दु संख्या 2, 3, 6, 7, 8 एवं 9 यथावत रहेंगे। इसी प्रकार आदेश दिनांक 18–11–2021 के बिन्दु संख्या 1 से 3 यथावत रहेंगे।
3. आदेश दिनांक 16–11–2021 के बिन्दु संख्या 4 में दिनांक 16–12–2021 से 15–01–2022 तक बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा की सूचना समस्त कोषाधिकारी दिनांक 17–01–2022 तक परियोजना निदेशक, आरजीएचएस जयपुर को प्रपत्र **A** में आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएंगे तथा इस सूचना को परियोजना निदेशक, आरजीएचएस, जयपुर द्वारा दिनांक 20–01–2022 तक अद्यतन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव, वित्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय
3. समस्त विशिष्ट सहायक / निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय / राज्य मंत्री महोदय
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
6. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर
7. प्रशासनिक सुधार विभाग (ग्रुप – 7)
8. समस्त विभागाध्यक्ष
9. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर
10. उप निदेशक, सांख्यिकी, मुख्यमंत्री कार्यालय
11. निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर
12. विधि रचना संगठन, शासन सचिवालय, जयपुर
13. समस्त कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी
14. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सेल)
15. रक्षित पत्रावली

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ :

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर / जयपुर
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर

14/12/21
(एस.ज़ैड. शाहिद)
संयुक्त शासन सचिव, वित्त (नियम)

(RSR 52 / 2021)

कोषालय का नाम (उप कोषालय का विवरण भी इसी में सम्मिलित करें) :

_____

दवाइयों की चिकित्सा सीमा (इसी प्रपत्र में जांच की सीमा का विवरण भी भरा जाये)

(C) दिनांक 15–1–2022 तक की सूचना :

क्र. सं.	पेंशनर का नाम	पीपीओ नम्बर	RGHS Card No.	पूर्व में उपलब्ध राशि	दिनांक 30–9–21 तक जिला कलक्टर के स्तर से बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा की राशि	दिनांक 1–10–21 से 31–10–21 तक कोषाधिकारी / उप कोषाधिकारी द्वारा बढ़ाई गई राशि	दिनांक 31–10–21 तक कुल चिकित्सा सीमा राशि (कॉलम संख्या 5, 6 एवं 7 का योग)	जिला कलक्टर / कोषाधिकारी की स्वीकृति के बिना NAC के आधार पर क्रय की गई औषधियां	दिनांक 1–11–21 से 15–12–21 तक बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा	दिनांक 16–12–21 से 15–1–22 तक बढ़ाई गई चिकित्सा सीमा	कुल कॉलम संख्या 8 से 11 का योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12